(23)

Rewa-2

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : अशोक शिवहरे
सदस्य

निगरानी प्र0 क0 1175—दो/2012 विरूध्द आदेश दिनांक 10—02—12 पारित अपर कलेक्टर, रीवा प्रकरण कमांक 406/अ—27/2010—11 निगरानी.

1— सुरेशकुमार उपाध्याय पुत्र स्व. सम्पत्ति कुमार
2— अवधेशकुमार उपाध्याय पुत्र स्व. सम्पत्ति कुमार
3— दिनेश कुमार उपाध्याय पुत्र स्व. सम्पत्ति कुमार
4— अजेश कुमार उपाध्याय पुत्र स्व. सम्पत्ति कुमार
5— रमेशकुमार उपाध्याय पुत्र सुरेश कुमार उपाध्याय
6— श्रीमती सवितादेवी पत्नी अवधेश कुमार उपाध्याय
7— भूपेशकुमार उपाध्याय
8— व्योमेशकुमार उपाध्याय पुत्र दिनेशकुमार
9— गिरीश कुमार उपाध्याय तनय शिवकुमार
सभी निवासी ग्राम पोस्ट गुढ़, जिला रीवा

विरूध्द ——— आवेदकगण

1—लक्ष्मीकान्त उपाध्याय तनय स्व. रामसुन्दर
2— उमेशकुमार उपाध्याय तनय शिवकुमार
सभी निवासी ग्राम पोस्ट गुढ़, जिला रीवा

—— अनावेदकगण

श्री एस0के0 उपाध्याय, अभिभाषक — आवेदकगण
श्री अरविन्द पाण्डे, अभिभाषक— अनावेदकगण

आदेश

(आज दिनांक 21.4.14 2014 को पारित)

यह निगरानी का आवेदनपत्र मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत अपर कलेक्टर, जिला रीवा के प्रकरण कमांक 406/अ–27/10–11 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 10–02–2012 से असन्तुष्ट होकर प्रस्तुत किया गया है।

2/ प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अनावेदकगण लक्ष्मीकान्त एवं उमेशकुमार व्दारा तहसीलदार, गुढ़ के आदेश के विरूध्द अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 4–6–2011 व्दारा दायरा बिन्दू पर अपीलान्ट को सुनने के पश्चात प्रकरण पंजीबध्द कर अधीनस्थ न्यायालय के मूल अभिलेख तलब करने के आदेश दिये। इस आदेश के विरूध्द प्रस्तुत की गयी निगरानी अपर कलेक्टर ने अपने आदेश दिनांक 10–02–12 व्दारा खारिज की गयी है। अतः आवेदकगण यह निगरानी राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की है।

3/ मैंने उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्कों पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया। आवेदकगण के अभिभाषक का तर्क है कि अनावेदकगण हितबध्द पक्षकार नहीं है तथा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत अपील अवधि बाह्य है, इसलिये अनुविभागीय अधिकारी व्दारा अपील ग्राह्य करने में गलती की है। अतः उन्होंने निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया।

4/ अनावेदकगण के अभिभाषक का यह तर्क है कि प्रश्नाधीन भूमियॉ संयुक्त हिन्दू परिवार की पैत्रिक भूमियॉ हैं। अनावेदक लक्ष्मीकान्त मृत राम सुन्दर का पुत्र है तथा अनावेदक क0–2 उमेशकुमार रामसुन्दर के मृत पुत्र शिवकुमार का पुत्र है। आवेदकगण लक्ष्मीकान्त के भाई सम्पतिकुमार के पुत्र एवं पौत्र आदि है। अनावेदकगण हितबध्द पक्षकार होते हुए भी नामान्तरण के पूर्व ना तो सूचनापत्र दिया और ना ही सुनवायी का अवसर दिया। आदेश की

जानकारी से समयावधि में अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गयी है जिसे ग्राह्य करने में अनुविभागीय अधिकारी व्दारा कोई त्रुटि नहीं की है। अतः उन्होंने निगरानी खारिज करने का अनुरोध किया।

5/ अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 04–06–2011 से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण पंजीबध्द कर अधीनस्थ न्यायालय के मूल अभिलेख तलब करने तथा रेस्पो. को आहूत करने के आदेश दिये है। तहसीलदार के मूल आदेश के विरूध्द अपील सुनवायी कर विनिश्चय करने की अधिकारिता अनुविभागीय अधिकारी को है। अनावेदकगण व्दारा प्रश्नाधीन भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की होकर पैत्रिक होना बताया गया है। ऐसी दशा में अनुविभागीय अधिकारी व्दारा अपील ग्राह्य कर अभिलेख तलब करने एवं अनावेदकों को आहूत करने के आदेश देने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गयी हैं। आवेदकगण अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं जिसका उन्हें पूर्ण अवसर प्राप्त हैं। ऐसी दशा में निगरानी में हस्तक्षेप करने का समुचित आधार नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी खारिज की जाती है। अपर कलेक्टर का आदेश दिनांक 10–2–12 एवं अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनाक 04–06–11 यथावत रखे जाते हैं।

(अशोक शिवहरे)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,म0प्र0